न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 100/2017 अपील

	उनवान	
श्री लक्ष्मणसिंह पिता हरिसिंह रावत निवासी पापड़िया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज0)	**बनाम**	1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द, जिला–भीलवाडा (राज0) 2.पटवारी हल्का जालरिया तहसील आसीन्द
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार आसीन्द, बमामले प्र0सं0 01/2017 आदेश दिनांक 17.01.2017

उपस्थित :– श्रीमती कैलाश कंवर अधि0 अपीलान्ट की ओर से !
राजकीय पक्ष में श्री विपुल बापना उपस्थित !

निर्णय

दिनांक : 30/05/2018

अपीलार्थी की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार आसीन्द बमामले प्रकरण संख्या 01/2017 आदेश दिनांक 17.01.2017 प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पापड़िया पटवारी हल्का जालरिया में स्थित कृषि आराजी नम्बर 01 रकबा 01 बीघा होकर इसके बटा नम्बर 356/1 कायम होकर नक्शे में प्रतिस्थापित है। आ0नं0 01 रकबा 15.95 हैक्टर किस्म बीड़ में स्वीकृत एम0एल0 नम्बर 45/2007 में रकबा 0.04 बिस्वा भूमि में आवासीय मकान बाड़ा बनाकर निवास कर रहा है। इस बाबत पटवारी हल्का जालरिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व अपीलार्थी प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि मुझ अपीलार्थी को भी आ0नं0 01 में से ही भूमि आवंटन हुई है। उसी आधार पर मौके पर काबिज होकर अपने कृषि उपकरण रखने व पशुओं को बांधने कृषि भूमि की देखभाल करने व घास इत्यादि रखने हेतु एक बाड़ा व सामान रखने हेतु मकान बना रखा है जिसे काफी वर्ष हो गए हैं। मौके पर कब्जा अनुसार भूमि अपीलार्थी लक्ष्मण सिंह की आवंटन शुदा भूमि है उक्त भूमि में कोई खनिज एम0एल0 नम्बर 45/2007 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि के बाबत स्वीकृत हुई है तो गलत रिपोर्ट व तथ्यों के आधार पर हुई है। अपीलार्थी का उक्त रकबे पर 15 वर्षों से कब्जा है जो कि नियमन की तारीफ में आता है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में महत्वपूर्ण भूल की है। अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने व पैनल्टी की राशि आरोपित कर मौके से आवासीय मकान व बाड़ा मटेरियल इत्यादि को

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जब्त सरकार कर निलाम करने का आदेश दिनांक 17.01.2017 को दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 01.09.2017 को प्राप्त करने पर हुई। अपीलार्थी अस्वस्थ होकर बिमार होने से अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया जिसे कन्डोन हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.01.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। अपील के साथ अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के प्र0सं0 01/2017 निर्णय दिनांक 17.01.2017 की प्रमाणित फोटो प्रति, अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की फोटो प्रति, ग्राम पापड़िया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74, आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 की फोटो प्रति, नक्शा ट्रेस व पैनल्टी की रसीदों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

बहस में वकील अपीलान्ट ने बताया कि ग्राम पापड़िया में आ0नं0 01 में से 01 बीघा भूमि वर्ष 2004 में आवंटित हुई तभी से अपीलार्थी आवंटित भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी आवंटन दिनांक से जिस जगह पर कब्जा सौंपा गया उसी जगह पर काबिज है परन्तु नक्शे में गलत तरमीम होने से वर्तमान में अपीलार्थी ने अपनी आवंटन शुदा भूमि में ही बाड़ा व मकान आदि बनाकर पिछले 15 वर्षों से रह रहा है। परन्तु विपक्षी ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करने, पैनल्टी आरोपित करने तथा मकान आदि को कब्जेराज लेकर निलाम करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक जांच व साक्ष्य लिए ही यह आदेश दिनांक 17.01.2017 को विधि विरूद्ध पारित किया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

बहस में राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को राजकीय बिलानाम आ0नं0 01 रकबा 15.95 बीघा में से 1.00 बीघा भूमि का आवंटन हुआ जिसका नक्शे में तरमीम होकर अपीलार्थी के नाम पर आवंटित आराजी नम्बर 356/1 खातेदारी से अपीलार्थी के नाम पर दर्ज है परन्तु अपीलार्थी आवंटित रकबे से लगती 0.04 बिस्वा भूमि पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलार्थी को प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में विधिवत सुना जाकर दिनांक 17.01.2017 को निर्णय पारित करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया वह विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अपील मीमों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द के आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.01.2017 की नकल दिनांक 01.09.2017 को प्राप्त होने पर हुई। उसके पश्चात वह अस्वस्थ बिमार हो गया इस कारण वह अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया जिससे यह अपील अविलम्ब तैयार कर प्रस्तुत

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की जा रही है। इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी के दफा–5 के प्रार्थना पत्र का लिखित या प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत कर खण्डन नहीं किए जाने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अब अपील मीमों के गुणावगुण पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम पापड़िया पटवारी हल्का जालरिया में बिलानाम आ0नं0 01 रकबा 15.95 हैक्टर किस्म बीड़ में से 1.00 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसक नम्बर राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 में आवंटित रकबे के नए नम्बर 356/1 होकर अपीलार्थी के नाम पर खातेदारी से दर्ज है उसी पर काबिज हो अपने कृषि उपकरण रखने व पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा एवं सामान रखने के लिए मकान बना रखा है जो पिछले 15 वर्षों से काबिज है। अपीलार्थी ने अपनी अपील के बिन्दु संख्या 03 में अंकित किया कि अतिक्रमित रकबा 0.04 बिस्वा जिस पर बाड़ा व मकान बना हुआ है उस पर 15 वर्षों से कब्जा होने से अपीलार्थी नियमन की पात्रता रखता है। इस प्रकार अपीलार्थी के ये दोनों कथन विरोधाभाषी है अर्थात जिस बिलानाम आ0नं0 01 के रकबा 0.04 बिस्वा पर बाड़ा एवं मकान बना रखा है उस पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है इस कारण से वह नियमन की बात कर रहा है अर्थात उक्त रकबा अपीलार्थी की आवंटित भूमि नहीं है। जैसाकि स्वयं ने नाजायज कब्जा होने से पैनल्टी जमा कराई जिसकी रसीदें पत्रावली में प्रस्तुत की है। उक्त अतिक्रमित रकबे पर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 01/2017 दर्ज कर विधिवत अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी करते हुए सुनवाई की गई। अपीलार्थी ने अतिक्रमित रकबा स्वयं की आवंटित भूमि का भू भाग होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या पर्चामौका या गवाहों के शपथ–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए है। जबकि अपीलार्थी को आवंटित आ0नं0 256/1 रकबा 1.00 बीघा भूमि का नक्शे में तरमीम हो रखा है। अतिक्रमित रकबा उक्त आवंटित भूमि से लगता हुआ बिलानाम आ0नं0 01 का ही भाग है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपनी अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी ने ग्राम पापड़िया पटवारी हल्का जालरिया त0आसीन्द की बिलानाम आ0नं0 01 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द के द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2017 में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा